पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर

पता :— बीकानेर रोड, नागौर
टेलिफोन नम्बर 01582—242985 ई—मेल आईडी pmo-nag-rj@nic.in

चिकित्सालय भवन/परिसर में वार्षिक सफाई ठेका

निविदा प्रपत्र

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	भुगतान देय
1	निविदा शुल्क	500/—	DD/ Bankers Cheque Nationalised or Scheduled Bank	सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, पंडित जंवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर
2	धरोहर राशि	44000/—	DD/ Bankers Cheque	सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, पंडित जंवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर
3	ई—टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	500/—	DD/ Bankers Cheque Nationalised or Scheduled Bank	M.D., R.I.S.L., Jaipur

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर

(प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय नागौर)

—: ई—निविदा सूचना—01 / 2016—17 :—

पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय नागौर के भवन/परिसर मे सफाई हेतु रजिस्टर्ड व्यक्तियो/फर्मो/सेवाप्रदाताओ से वार्षिक ठेका के लिए ई—निविदाएं आंमत्रित की जाती है। विवरण निम्न प्रकार है —

क्र. सं	आवश्यक सामग्री का विवरण	संभावित व्यय (लाखो में)	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	RISL का प्रक्रिया शुल्क	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड व डाउनलोड करने की अंतिम तिथी व समय	निविदा शुल्क, धरोहर राशि व ई टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क जमा करने की अंतिम तिथी व समय	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथी व समय
1	पंडित जवाहर लाल नेहरू रा.चि. भवन सफाई का वार्षिक ठेका	22.00	44,000 (सदस्य सचिव, RMRS नागौर के नाम डी.डी. द्वारा देय)	500 (सदस्य सचिव, RMRS नागौर के नाम डी.डी. द्वारा देय)	500 (मेनेजिंग डायरेक्टर, RISL जयपुर के नाम डी.डी. द्वारा देय)	28.09.16 06:00 पी.एम. तक	29.09.16 03:00 पी.एम. तक	29.09.16 04.00 पी.एम.

विस्तृत निविदा प्रपत्र एवं शर्त्ते को अंतिम तिथी से पूर्व http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, एवं http://www.rajswasthya.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र पूर्ण हस्ताक्षर सुदा http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत करना होगा। निविदा इस कार्य के लिए गठित सक्षम समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा के साथ घरोहर राशि व उपरोक्त सामग्री (जिसके सम्बन्ध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है।) का व्यवसाय करने का स्पष्ट द्योषणा पत्र संलग्न करना होगा।

अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा निविदा प्राप्त करने व खोलने के समय में विशिष्ट परिस्थितियों में बदलाव किया जा सकता है। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को होगा। बिना घरोहर राशि व देरी से प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। निविदा का विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर देखा जा सकता है।

1. धरोहर राशि रूपये 44000/— (अक्षरे रूपये चम्मालीस हजार मात्र) सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, पंडित जंवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर के नाम डी.डी. द्वारा जमा करवानी होगी।
2. सेवाओं का अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जाना है। अनुबन्ध अवधि को आपसी सहमति से बढाया जा सकता है।
3. फर्म का वैध सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य हैं।
4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, GF&AR के सभी नियम व शर्तें मान्य होगी।
5. निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करने की अवधि 13.09.2016 प्रातः 10.00 बजे से 28.09.2016 को दोपहर बाद 06:00 बजे तक होगी।
6. (अ)— निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 28.09.2016 दोपहर बाद 06:00 बजे तक जमा करवायें जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, पंडित जंवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर द्वारा दिनांक 29.09.2016 को दोपहर बाद 04:00 बजे खोली जाएगी। यदि उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी।
   (ब) निविदा जमा करवाने एवं उसके बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया आनलाईन होगी।
7. निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा हेतु निम्नलिखित राशि सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, पंडित जंवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर में नियमानुसार जमा करवानी होगी : —

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	भुगतान देय
1	निविदा शुल्क	500/—	DD/ Bankers Cheque Nationalised or Scheduled Bank	सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, पंडित जंवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर
2	धरोहर राशि	44000/—	DD/ Bankers Cheque	सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, पंडित जंवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर
3	ई—टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	500/—	DD/ Bankers Cheque Nationalised or Scheduled Bank	M.D., R.I.S.L., Jaipur

उपरोक्त राशि तथा आवश्यक मूल दस्तावेज निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्यालय में दिनांक 13.09.2016 को प्रात 10:00 बजे दिनांक 29.09.2016 को सांय 03:00 बजे तक बन्द लिफाफे मे जमा करवाना आवश्यक हैं।

PMO (RMRS) NAGAUR

8. निविदा में संशोधन निविदा जारी करने के उपरान्त http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, एवं http://www.rajswasthya.nic.in वेबसाईट पर ही किये जायेगें। निविदादाताओं द्वारा वेबसाईट पर संशोधन / स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे का स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. ई–टेण्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश

अ निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेंट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निवदा में भाग लेने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैघ डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

ब निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें।

स इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्र से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ संलग्न कर दी गयी है।

द किसी निविदादाता द्वारा यदि इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र जमा करवाने में देरी हो जाती है तो उसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगी।

य निविदा प्रपत्र की सभी प्रपत्रों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन अपलोड करें।

र ऑनलाईन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए कार्यालय की जिम्मेदार नहीं होगी।

ल किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र नागौर जिला मुख्यालय होगा।

सफाई कार्य करवाने के लिए कार्मिको की कमी / वृद्धि के लिए अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दिए गए समय–समय पर निर्देशों की पालना निविदादाता को करनी होगी।

APOORVA NIDHI KAUSHIK

Digitally signed by APOORVA NIDHI KAUSHIK
DN: c=IN, o=J.L.N GOVT. HOSPITAL NAGAUR, ou=PMO NAGAUR, postalCode=341001, st=Rajasthan, 2.5.4.20=8dd9b2f28d7ee5457b193471129cf1bfbf82a30f09abc7e070f35ae257a3960b, serialNumber=1dbbe737e827664b2b74a297ddff31cd2e520674e0db974f060303ea778c71e2, cn=APOORVA NIDHI KAUSHIK
Date: 2016.09.12 15:23:18 +05'30'

सदस्य सचिव
राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
नागौर (राजस्थान)

क्रमांकः–चिकित्सा / लेखा / ई–निविदा / 2016 / 555 **दिनांकः– 12.09.2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, नागौर।
2. श्रीमान् निदेशक(जन.स्वा.),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, राजस्थान–जयपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए), अजमेर।
4. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी..........................
5. नोटिस बोर्ड...
6. सम्पादक / प्रबन्धक, राजस्थान पत्रिका नागौर को **नागौर संस्करण में** न्यूनतम स्पेस में डी.आई.पी.आर. की दरो पर प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
7. सम्पादक / प्रबन्धक, दैनिक भास्कर नागौर को **नागौर संस्करण में** न्यूनतम स्पेस में डी.आई.पी.आर. की दरो पर प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. कमेटी सदस्य ....

APOORVA NIDHI KAUSHIK

Digitally signed by APOORVA NIDHI KAUSHIK
DN: c=IN, o=J.L.N GOVT. HOSPITAL NAGAUR, ou=PMO NAGAUR, postalCode=341001, st=Rajasthan, 2.5.4.20=8dd9b2f28d7ee5457b193471129cf1bfbf82a30f09abc7e070f35ae257a3960b, serialNumber=1dbbe737e827664b2b74a297ddff31cd2e520674e0db974f060303ea778c71e2, cn=APOORVA NIDHI KAUSHIK
Date: 2016.09.12 15:23:43 +05'30'

सदस्य सचिव
राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
नागौर (राजस्थान)

PMO (RMRS) NAGAUR

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर

(प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय नागौर)

क्रमांकः–चिकित्सा / लेखा / 2016 **दिनांक :–**

–: ई–निविदा सूचना–01 / 2016–17 :–

पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय नागौर में वर्षभर सफाई कार्य करवाने हेतु इस कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारो / संस्थाओं से ई–निविदा के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन निविदाए आमत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, एवं http://www.rajswasthya.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

(डॉ. अपूर्व कौशिक)
सदस्य सचिव
राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
नागौर (राजस्थान)

प्रकाशनार्थ नही –

क्रमांकः–चिकित्सा / लेखा / ई–निविदा / 2016 / 556 **दिनांकः– 12.09.2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्पादक राजस्थान पत्रिका नागौर को **नागौर संस्करण में** न्यूनतम स्पेस उक्त ई–निविदा सूचना डी.आई.पी.आर. की दरो पर प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
2. सम्पादक दैनिक भास्कर नागौर को **नागौर संस्करण में** न्यूनतम स्पेस उक्त ई–निविदा सूचना डी.आई.पी.आर. की दरो पर प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. निदेशक आई टी को http://www.rajswasthya.nic.in पर अपलोड हेतु।
5. कमेटी सदस्य ....

APOORVA NIDHI KAUSHIK

Digitally signed by APOORVA NIDHI KAUSHIK
DN: c=IN, o=J.L.N GOVT. HOSPITAL NAGAUR, ou=PMO NAGAUR, postalCode=341001, st=Rajasthan, 2.5.4.20=8dd9b2f28d7ee5457b193471129cf1bfbf82a30f09abc7e070f35ae257a3960b, serialNumber=1dbbe737e827664b2b74a297ddff31cd2e520674e0db974f060303ea778c71e2, cn=APOORVA NIDHI KAUSHIK
Date: 2016.09.12 15:24:05 +05'30'

(डॉ. अपूर्व कौशिक)
सदस्य सचिव
राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
नागौर (राजस्थान)

PMO (RMRS) NAGAUR

☏01582-242985

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर

(प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय नागौर)

Technical Bid Check List (सफाई ठेके हेतु)

S.No.	Particulars	Enclosed (Yes/No)
1	Attested Copy of PAN & Service Tax.	
2	Attested copy of Registration Certificate issued by Competent Authority/Registrar.	
3	Required Certificates/Licence /Documents Should be completed and updated.	
4	Technical undertaking	
5	Annexure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)	
6	Annexure-B (Statement of Post Supplies & performance)	
7	Annexure-C (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)	
8	Financial undertaking	
9	Registration Certificate of business establishment/business firm, at least in their own name/Firms name	
10	Details of the Bidder firm	
11	Bid Security Detail	

Technical Bid

Drtails of Bidder

E-Tender no. : 01/2016-17

Bid Security : Rs. (2% of bid cost) 44000/-

1	Name of Firm :		
2	Tel. no:	Office:	Fax:
3	Mobile no. : Email id :		
4	Office address of the firm		
5	Constitution of the firm Whether /proprietorship / Partnership/company		
a	In case of proprietorship firm		
b	In case of Partnership firm		
	Name ,father name and residential add. Of all the partners Note : enclose the registration certificate of firms or its attested /copy/photo copy of Partnership deed(attach separate sheet if space is insufficient)		
c	In case of NGO/Other		
(i)	Regd. NO of the NGO/ Other		
(ii)	Name and address of the Directors of the NGO (attach separate sheet if space is insufficient)		
6	Bank Details of Bidder Bankers name with branch Account type Account no.		
7	PAN no of the Bidder (Enclose a certified copy of the same)		
8	Service Tax no. of the bidder of applicable(Enclose a certified copy of the same)		

9	Bid Security Rs 2% of Estimated bid cost amount Rs. .... DD No. : ………....... Dated : ……… .... Name of Bank : ....
10	Tender fee Amount 500/- DD No. : ………....... Dated : ……… .... Name of Bank : ....
11	E-Tender Processing Fee Amount 500/- DD No. : ………....... Dated : ……… .... Name of Bank : ....
12	संस्थान के संविधान की प्रति जिसमें सस्थान के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य में सफाई कार्य उल्लेखित हो निविदा के साथ संलग्न करें
* (To be filled in by the office)	
Signature of the bidder with seal	
Name ………………………………………………………………………	
Designation	

*Attached Bid security : Bidders cheque/DD/challan or Case Recipt with Tech. Tender bid.
*Attach Separate sheet for details Where required.
* In case of authorized representative singing this document . Enclose copy of the Authority latter.

☏01582-242985

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर

(प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय नागौर)

सफाई कार्य करवाये जाने हेतु निविदा एवं अनुबधं की शर्ते एवं विनियमन

(वर्ष 2016–17)

निविदादाता को निविदा मे अपनी दरे अंकित करते समय इन शर्तो का बहुत सावधानी पूर्व पठना चाहिये। यदि किसी शर्त के बारे मे कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नागौर (संम्बधित कार्यालयाध्यक्ष) से लिखित मे स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।

1. निविदा, निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशो के अनुसार दिनांक 28.09.2016 को सांय 06:00 बजे तक http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर सकते है।

2. तकनीकी निविदा में सफल रहने वाले निविदादाताओं को वित्तीय निविदा खोलने के क्रम में ई–मेल द्वारा/फोन द्वारा सूचना अलग से दी जावेगी।

3. निविदा शुल्क प्रोसेसिंग शुल्क निविदा अमानत राशि के डी.डी. निर्देशानुसार एक लिफाफे मे डालकर 29.09.2016 को दोपहर बाद 03:00 बजे तक सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय चिकित्सालय नागौर को प्रस्तुत किए जाने होगे।

4. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 29.09.2016 को सांय 04.00 बजे उपस्थित निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जावेगा। निर्धारित समय में कोई निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नही होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय उवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।

(अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बीड खोली जायेगी।

(ब) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बीडर की ही वित्तीय बीड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी बीड में सफल निविदादाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होगें।

5. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबन्धें एवं शर्त्तो को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा।

6. निविदादाता के पास स्वयं के नाम अथवा फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

7. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ओर दरे अंको के साथ–साथ शब्दो में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।

8. **निविदा सफाई कार्य व्यवसाय हेतु पंजीकृत सोसायटी/संस्था/ट्रस्ट/एकल फर्म/कम्पनी/एनजीओ द्वारा ही दी जानी चाहिये, इस तथ्य का प्रमाणिक अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। संस्था का बैंक में खाता होना आवश्यक है। बैंक खाते का विवरण निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।**

9. तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत किये जाने चाहियें :–
   I. निविदादाता के सम्पूर्ण जानकारी प्रपत्र (Detail of bider)
   II. पैनकार्ड/संर्विस टेक्स प्रमाण–पत्र
   III. निविदादाता/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र
   IV. प्रतिभूति राशि का विवरण
   V. Technical undertaking
   VI. Annexure-A (Declaration by bidder **regarding qualification** सफाई कार्य सम्बन्धी)
   VII. Annexure-B (Statement of Past supplies & performance पूर्व के ठेके का प्रमाण पत्र)
   VIII. Annexure-C (**Affidavit** regarding acceptance of Bid terms & Conditions) यदि कोई हो तो।
   IX. Financial undertaking
   X. बैंक खाते का विवरण।

10. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर आफ अर्टोनी प्रस्तुत किया जाना अवश्यक है। निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों /साझेदारो के इस अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरित प्रभाव नही डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबन्ध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नही करे तब तक फर्म में काई नया साझेदार सम्मिलित नही किया जावेगा।

    निविदाकार कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा भरी जावेगी। **प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।**

11. निविदादाता अपनी निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौप सकेगा और नही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

12. दरे अनुबन्ध की तिथी से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। अनुमोदित सफाई कार्य करने वाली फर्म निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं अच्छी तरीके से सफाई सम्बन्धी कार्य करेगी तथा उक्त शर्त्तो का पालन करेगी एवं सफाई कमेटी के निरीक्षण के पश्चात सफाई कमेटी की अनुशंषा के अधार पर देय राशि का भुगतान किया जावेगा।

13. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) :-**

(1) दर संविदा, के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी।

(2) बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति बोली की मूल या बढाई गई विधीमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।

(3) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अन्तिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीध्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

14. **बोली प्रतिभूति का समपहृत (Forfeiture of Bid Security) :-**

(1) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थातः—

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/ संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नही करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमो के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(2) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

15. **बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of bids) :-**

बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, की बोली कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नही होगी।

16. **सफाई कार्य हेतु स्पेशिफिकेशन** (राजकीय जिला चिकित्सालय में सफाई कार्य की शर्त्ते) **:-**

- सम्पूर्ण चिकित्सालय भवन मय छत व चारदिवारी के अन्दर का समस्त परिसर। सफाई मे सभी स्थानो पर जाले हटाना, झाडू लगाना, फिनाईल से पोछा लगाना, शोचालय व स्नानगृह की सफाई, पान की पीक आदि साफ करना एवं सफाई सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण कार्य सम्मिलित है।
- कमेटी द्वारा निर्धारित स्थान पर कचरा डालाना होगा।
- चिकित्सालय के बरामदो, सीढियो, वार्डो, गैलरिया एवं हॉल आदि स्थानो में स्थापित कचरा पात्रो की सफाई, थूकदान/पीकदान में आवश्यकतानुसार रसायन आदि का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।
- प्रत्येक वॉश वेसिन पर साबुन/लिक्विड सॉप आवश्यकता अनुसार रखा जाना चाहिए।
- प्रत्येक प्रसव होने के पश्चात लेबर रूम की सम्पूर्ण सफाई (लेबर टेबल , बाल्टी, मेकेन्टोश आदी की सफाई) करनी होगी एवं किसी मरीज द्वारा गन्दगी करने पर तुरन्त सफाई करनी होगी।
- परिसर मे जंगल कटिगं नियमित रूप से होनी चाहिये एवं जंगल कटिंग का कचरा व मरा हुआ जानवर हो तो उसे पासे के कचरा डिपो जो नगर परिषद या चिकित्सालय का हो, वहां तक अपने खर्च व साधन से पहुचांना होगा।
- महिला वार्ड व प्रसव कक्ष हेतु महिला सफाई कर्मचारी लगाने होगे, प्रसव कक्ष/गायनी वार्ड में **24*7** सफाई व्यवस्था हेतु महिला कर्मचारी उपस्थित होना चाहिए।
- चिकित्सालय परिसर मे दिन मे तीन बार सफाई होगी तथा शोचालय मे कचरा पात्र उपलब्ध हो जिसे प्रतिदिन तीन बार खाली किया जावे।
- सफाई कार्य सुबह एवं सायं चिकित्सालय खुलने से पुर्व आवश्यक रूप से होना चाहिये ।
- निविदाकार द्वारा लगाया जाने वाले सभी कर्मियो को निविदाकार द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी कर्मियो को उक्त परिचय पत्र कार्य समय मे प्रदर्शित करना होगा।
- सभी सफाई कार्मिक निर्धारित वर्दी मे उपस्थित होने चाहिये। वर्दी पर आउटसोर्स एजेन्सी का नाम अंकित किया जाना चाहिए।
- ठेकेदार को अपने कार्मिको के नाम व पुरे पते कि सूची प्रस्तुत करने होगी। किसी भी कार्मिक को हटाने व लगाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को देनी होगी।
- कार्य अवधि मे सफाई कार्य मे काम आने वाली आवश्यक सामग्री (झाडु, पोछा, ब्रश , ट्रोली, वांस, ऐसीड, सोडा, डिटरजेन्ट, फिनाईल तथा शोचालय के लिये नेप्थलिन की गोलीयॉ एवं ब्लिचींग पाऊडर आदि) की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार ठेकेदार को ही करनी होगी। इस प्रकार की सामग्री आपूर्ति नही करने पर कमेटी द्वारा निर्धारित राशि काटी जावेगी, बार–बार इस प्रकार की सामग्री उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध नही कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
- सफाई कार्य मे अच्छी गुणवता की सामग्री उपयोग मे लेनी होगी। फर्स दिवारो आदि की सफाई हेतु ईट पत्थर आदि का प्रयोग वर्जित होगा।
- सफाई कार्य निर्देशानुसार पूर्ण सफाई करनी होगी, आवश्यकता होने पर अधिक कार्मिक लगाने पड सकते है जिसका अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।
- सफाई व्यवस्था मे काम आने वाली वस्तुओ झाडु, पोछा आदि को प्रत्येक वार्ड मे एक निर्धारित स्थान पर उपस्थित होनी चाहिये जिसे cleaning station का नाम दिया जावे।
- चिकित्सा संस्थान पर उत्पन्न जैवकिय अपशिष्ट का बायोमेडिकल वेस्ट(Management and handling) rules, 1998 के अनुसार रबड वेस्ट व शार्प वेस्ट का एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड सोल्युशन अथवा एक प्रतिशत ब्लीचिंग घोल से निसंक्रमण कर तत्पश्चात कमेटी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना होगा। इस सम्बन्ध में विशेष सावधानी रखनी होगी। समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशो की पालना करनी होगी।
- ड्यूटी चार्ट पर उत्तरदायी सफाई कर्मचारी का नाम व मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना है।

- ठेकेदार/उसके कर्मचारी द्वारा कार्य के दौरान चिकित्सालय की किसी चल अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने पर उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी। मरीजों या उनके परिजनों से किसी भी तरह का नकद या कोई सामान ग्रहण नहीं किया जायेगा। ठेकेदार का कोई कार्मिक या स्वयं इस कार्य में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी। अस्पताल में ठेकेदार एवं उसके कार्मिकों का व्यवहार रोगियों एवं उनके परिजनों एवं स्टाफ के साथ अच्छा होना चाहिए।
- निर्धारित स्तर की सफाई नही होने पर एवं इस सम्बन्ध में वार्ड प्रभारी, नर्सिंग अधीक्षक अथवा सफाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर पुनः सफाई करवानी होगी एवं इसका निरीक्षण करवाया जाना होगा।
- चिकित्सालय के समस्त वार्डो तथा प्रसव कक्ष व उससे जुडे शौचालयों में निरन्तर सफाई व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये साथ ही आपातकालीन में 24*7 सफाई व्यवस्था सुनिशचित करनी होगी तथा प्रत्येक शौचालयों के Door पर लगी Cleaning Cleck List पर ड्यूटी स्टाफ व सफाई कर्मचारी के हस्ताक्षर होने चाहिये।
- प्रत्येक वार्ड व उसके आस–पास के क्षेत्र (गैलेरी, टॉयलेट इत्यादि) की सुबह–शाम दोनों बार प्रतिदिन सफाई करने पश्चात ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ द्वारा Cleck List पर हस्ताक्षर करवाने होगें तथा प्रत्येक मंगलवार को ठेकेदार द्वारा समस्त चिकित्सालयों की सफाई Cleck List नर्सिंग अधिक्षक/उपनियंत्रक से प्रमाणित करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- ठेकेदार को सम्पूर्ण चिकित्सालय की 24 घंटे पूरी सफाई रखनी होगी। सफाई ठेकेदार को एक रजिस्टर रखना होगा, जिस पर सफाई करने के बाद प्रतिदिन नर्सिंग अधीक्षक/उपनियंत्रक /अस्पताल मैनेजर से प्रमाणित करवाना होगा। मासिक बिल उपरोक्त से प्रमाणित कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- ठेकेदार/उसके किसी कर्मचारी को कार्य के दौरान कोई शारीरिक क्षति होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। इसमे चिकित्सालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
- निर्देशानुसार समय पर सफाई कार्य न करने, बन्द करने की दशा में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को यह अधिकार होगा की वह सफाई किसी अन्य व्यक्ति/संस्था से करवा सके एवं उस पर हुआ व्यय ठेकेदार से वसूल किया जा सकेगा।
- ठेकेदार को न्यूनतम मजदुरी अधिनियम एवं श्रम विभाग के नवीनतम नियमों की पालना करनी होगी, जिसके लिए वह स्वंय जिम्मेवार होगा। यदि सफाई कार्मिक की मानदेय राशि, श्रम विभाग की न्यूनतम दर से कम है तो उक्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
- समस्त सफाई कार्मिको का मानदेय प्रतिमाह A/C Pyayee Chaque द्वारा ही भुगतान किया जावेगा तथा कार्मिको के पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट की छाया प्रति अगले माह की क्लेम (बिल) के साथ लगाना आवश्यक होगा।

17. **परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages) :-**

a) **सफाई कार्य पूर्ण न होने की दशा में निम्नानुसार कटौती की जाएगी :–**

अ–वार्ड में गंदगी होने पर प्रतिवार्ड प्रतिदिन	300/–
ब–अन्य स्थान पर गंदगी होने पर प्रतिदिन	100/–
स–समय पर सफाई न होने पर प्रतिदिन	100/–
द–सफाई कर्मियो द्वारा यूनिफार्म नही पहनने की स्थिति में प्रतिदिन प्रति स्टॉफ	50/–

सफाई कार्य अपूर्ण होने की स्थिति में उक्त कटौती अधिकतम तीन बार की जा सकती है एवं इसके बाद पुनः अपूर्ण सफाई कार्य किया जाता है तो निविदा निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

18. भुगतान :–

1. भुगतान स्वीकृत राशि के अनुसार मासिक किया जाएगा। नियमानुसार आयकर की कटौति स्त्रोत पर ही की जायेगी ।
2. सेवा प्रदाता दर संविदा की शर्तो में दिये गये निर्धारित तरीके एवं स्पेशिफिकेशन से कार्य किये जाने पर भुगतान किया जावेगा।

19. विभाग के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

20. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

21. यदि निविदाकार कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पन्न कराई जावेगी। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा।

22. निविदाकार के हर्जे खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।

23. अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह मे नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि मे से तुरंत कर ली जावेगी। तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो बैंक गारंटी से तुरंत राशि वसूल कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

24. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान

किया जावेगा। निविददाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

25 विवाद की स्थिति में सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर का निर्णय अन्तिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।

26. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पडे तो दोनों पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेशन के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्कयता पडे तो सम्बन्धित जिला न्यायालयो में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं।

27. संविदा का समय संविदाकार एवं विभाग की आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

28. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तो पर विचार नहीं किया जावेगा तथा जो शर्ते उक्त शर्तों में सम्मिलित होने से रह गई हैं वे सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं RTPP ACT एवं Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होगी।

29. बोलीदाता द्वारा पैन कार्ड की छाया प्रति एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ पेश की जावेगी।

30. **बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन ओर उपान्तरण (Withdrawal, Substitution and Modification of bids):**—बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस —

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से"प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन" या "उपान्तरण"अंकित हो ; और

(ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

(1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है,बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नही किया जायेगा।

31. **वित्तीय बोलियो में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correction of arithmetic errors in financial bids):**— बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी,:—

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है। ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

32.**राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलनाः–** उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।

33.**किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकारः–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

34. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity):–

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने केपश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और
(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

35.**Fall clause :–** यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा

धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

36.**अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing Quantites among more than onebidder at the time of award):–**सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

37. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security):–** सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की **पांच प्रतिशत** होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :–

(1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

(2) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

38. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Performance Security):–** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

(1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(2) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूतिको समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

39. करार का निष्पादन (Execution of agreement):–

(1) सफल बोली लगाने वाले, को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।

(2) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(3) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर रू. 500/–मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

40. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity):– उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,

(1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

41.हित का विरोध (Conflict of interest):–

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

42. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंगः–अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3)और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

43. अपील का प्रारूपः–

(1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यो को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

44. अपील फाइल करने की फीस :—

1. प्रथम अपील के लिये फीस दो हजार पांच सो रूपये और द्वितीय अपील के लिये दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
2. फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैक के बैक मानदेय ड्राफट या बैकर चैक के रूप मे किया जावेगा जो संबधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

45. अपील के निपटारे की प्रकिया :—

1. प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति , द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाईल किये जाने पर प्रार्थी को अपील शपथ पत्र और दस्तावेज यदि कोई हो ,की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सूनवाई की तारीख नियत करेगा।
2. सुनवाई के लिये नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति ,द्वितीय अपील प्राधिकारी।
   (क.) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारो की सुनवाई करेगा। और
   (ख) मामले से संबधित दस्तावेजो, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियो का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
3. पक्षकारो की सुनवाई मामले से संबधित दस्तावेजो, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियो के अवलोकन या निरिक्षण के पश्चात,संबधित अपील प्राधिकारी लिखि तमे आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारो को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
4. उप नियम (3) के अधीन पारीत आदेश राज्य लोक उपायन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावेगा।
5. विवाद की स्थिति मे प्रथम अपील अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये अजमेर एवं द्वितीय अपील अधिकारी.निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर होगे।

46. निविदा शर्तो मे सफाई कर्मियो को मासिक रूप से दिया जाने वाला पारिश्रमिक ऐजेन्सी द्वारा चैक द्वारा ही भुगतान किया जावेगा एवं अगले माह प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे स्वयं के बैक पासबुक की छायाप्रति प्राप्त की जावेगी ताकि कार्मिक को भुगतान सही समय व सही मात्रा मे हुआ है का आंकलन किया जा सके।

47. न्युनतम सफाई कार्मिको की संख्या 25 होगी।

48. चिकित्सालय भवन के बाहर चारो ओर मुख्य दीवार तक साप्ताहिक रूप से सफाई का कार्य करना अनिवार्य होगा। इस परिसर मे आवश्यक सफाई तुरन्त करनी होगी।

49. गायनिक वार्ड / जेएसवाई वार्ड , बच्चा वार्ड ,एफबीएनसी वार्ड, एमटीसी वार्ड भविष्य मे एमसीएच वीगं मे हस्तांतरित होने पर कमेटी द्वारा इन वार्डो हेतु कार्य का मुल्याकंन कर तदनुसार राशि काटकर अवशेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता एवं मोहर

प्रारूप सं. 1
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
(i) अपीलार्थी का नाम :
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :
(iii) आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियो) का नाम और पता :
(i)
(ii) .
(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4.यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :
....
....
.... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना : ....
....
....

स्थान : ....
तारीख : ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

TECHNICAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake cleanliness work at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid etc. and the instructions issued by the --------------------------------- (concerned head of the office) from time to time.

I am/we are enclosing the following documents as per the terms and conditions of the Bid:

1. DD/BC/BG bearing No. ....Dt...................................for Rs. ..../- {....................................} drawn on- ....on Bank toward Bid security.
2. Affidavit attested by a notary to that effect that the bidder has no past or present criminal record with the Policy/Vigilance of CS Deptt./Vigilance and enforcement Deptt,. Govt. of Rajasthan or Govt. of any other state/ Govt. of India.
3. Affidavit stating that the bidder or any of the partners or representatives were never blacklisted the Central Government/ any State Government/any Union Territory/State Agency at time or convicted by Court of Law in a criminal case.
4. Copy of the partnership deed along with permanent and present address of the partners in case of a Firm.
5. Copy of the Registration certificate, if it is firm/Limited Company/NGO/Others.
6. Copy of the Registration certificate PAN/Service tax up to date.

I/We herby affirm that the department is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid Document, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.

Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Address:

TECHNICAL

Annexure-A

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

in relation to my/our Bid submitted to ....for **cleanliness work** ....in response to their Notice Inviting Bids No. ....Dated .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Tranparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date:-
Place:-

Signature of the bidder
Name:
Designation:
Address:

ANNEXURE-B

STATEMENT OF PAST SUPPLIES AND PERFORMANCE

We.. (Name of firm) do hereby undertake that we have performed **cleanliness work** as per details given below:-

Calendar Year	Order Placed by [full address of purchaser with telephone & Fax no.]	Order No. and Date	Date of Completion of delivery		Remarkes indicating reasons for late delivery, if any	Has the work catered satisfactory?
			As per contract	Actual		
1	2	3	4	5	6	7

Note:-

1. It should be submitted with technical Bid.
2. The above information may be verified from relevant documents of bidder.

Date:-
Place:-

Signature of bidder with Seal
Name
Address

Annexure-C

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME.......................................

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptace and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Connditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without andy deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/ unethical means in including cartlization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Name of Bidder with Signature and Seal

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/ us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders of concerned head of office from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5 % on the total value of the cost of the quantity for supply, within seven (7) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement. I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/ our Bid security stand forfeited if I/we fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within seven (7) days of acceptance of my/our Bid and I/we will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non–fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER
NAME:
ADDRESS:

APOORVA NIDHI KAUSHIK

Digitally signed by APOORVA NIDHI KAUSHIK
DN: c=IN, o=J.L.N GOVT. HOSPITAL NAGAUR, ou=PMO NAGAUR, postalCode=341001, st=Rajasthan, 2.5.4.20=8dd9b2f28d7ee5457b193471129cf1bfbf82a30f09abc7e070f35ae257a3960b, serialNumber=1dbbe737e827664b2b74a297ddff31cd2e520674e0db974f060303ea778c71e2, cn=APOORVA NIDHI KAUSHIK
Date: 2016.09.12 15:25:05 +05'30'